राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–11 (लो0सू0अ0)/2023–24

डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा, 4/ए, शकुन्तला गार्डेन, पुनाईचक, जिला–पटना

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
13.04.2023	डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा, 4/ए, शकुन्तला गार्डेन, पुनाईचक, जिला–पटना के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–13.04.2023 इस कार्यालय में दिनांक–13.04.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 825505 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन (प्रपत्र 'क' दिनांक–12.03.2023) लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–12.03.2023 की छाया–प्रति जो लोक सूचना पदाधिकारी को संबोधित है, भी संलग्न किया है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना से सूचना हेतु मांगे गये आवेदन प्रपत्र 'क' दिनांक–12.03.2023 के आलोक में की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदन की मांग करे। अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–27.04.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 13/4/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या—11 (लो०सू०अ०) / 2023—24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.04.2023	दिनांक-13.04.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक-आर.टी.आई./बी.एस.यू.-13/2023-70/रा.स.(III) दिनांक-11.04.2023 के माध्यम से अपीलार्थी डॉ. ए०के० शर्मा को सूचना/निर्णय का प्रेषण कर दिया गया है। विदित हो कि डॉ. शर्मा द्वारा सूचना/निर्णय प्राप्त नहीं होने के कारण यह प्रथम अपील दायर किया था। अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना द्वारा अपीलार्थी डॉ. शर्मा को सूचना/निर्णय का प्रेषण कर दिया गया है। अतः इस अपील आवेदन पर अग्रत्तर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 27/4/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार	